



पत्र सं०-

223 / मू०अनु०(लेखा)-भूमि दर-2017-18 / 31/5/17

दिनांक- 03/07/2017

कार्यालय-आदेश

कार्यालय आदेश सं०-1781 / मू०अनु०(लेखा)-भूमि दर-2017-18 दिनांक 03.04.2017 द्वारा निम्नलिखित परिषद योजनाओं (अवध विहार योजना लखनऊ, वृन्दावन योजना सं०-1 लखनऊ, वृन्दावन योजना सं०-2, (भाग-1 व भाग-2) लखनऊ, वृन्दावन योजना सं०-3 एवं 4 लखनऊ, आम्रपाली योजना लखनऊ, सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद, मण्डोला विहार बागपत) की दरों को पत्रांक-310 / मू०अनु०(लेखा)-भूमि दर-2014-15 दिनांक 26.02.2014 द्वारा निर्धारित भूमि दरों पर दिनांक 30.06.2017 तक स्थिर रखा गया था।

आवास आयुक्त (म०) द्वारा वृन्दावन योजना सं०-2, भाग-1, लखनऊ, वृन्दावन योजना सं०-3, लखनऊ एवं वृन्दावन योजना सं०-4, लखनऊ (तीन नग) योजनाओं को छोड़कर शेष योजनाओं की भूमि दरों का निर्धारण कर दिया गया है। उपर्युक्त 3 नग योजनाओं की भूमि दरों का निर्धारण अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त से आख्या पुनः प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 01.07.2017 से किया जायेगा।

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	स्वीकृति भूमि दरें (रु० प्र०व०मी०)	रिमार्क
1	2	3	4
1.	अवध विहार योजना, लखनऊ	रु० 21,500.00 प्र०व०मी०	
2.	वृन्दावन योजना सं०-1, लखनऊ	रु० 21,500.00 प्र०व०मी०	
3.	वृन्दावन यो० सं०-2, भाग-2 लखनऊ	रु० 23,000.00 प्र०व०मी०	
4.	हरदोई रोड योजना (आम्रपाली), लखनऊ	रु० 17,500.00 प्र०व०मी०	
5.	सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद	रु० 37,700.00 प्र०व०मी०	
6.	मंडोला विहार योजना, गाजियाबाद	रु० 23,000.00 प्र०व०मी०	

अतः उपर्युक्तानुसार निर्धारित भूमि दरें दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होंगी।

(जनार्दन प्रसाद पाण्डेय)

वरि०वि० एवं लेखाधि० / वित्त नियंत्रक

०८